

# पालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम० पी० केश नं० ..... 577 / 20.17

धारा 107 द.प्र.स.

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
11/5/17	सुरज कुमार मोहंता नाम शिव मोहंता तेजुलक्षारी धाना अग्रधारिकी सं० 13/1/17	11.5.17 31.5.17 13/6/17
14/7/17	प्राप्त हुआ अदालत से स्पष्ट होता है कि जॉब पदाधिकारी सं० अ० वि०/अ० वि० तेजुलक्षारी ने जॉब कर अपना प्रतिवेदन धाना प्रभारी तेजुलक्षारी धाना एवं अ० वि० कारराय ने अग्रधारित किया हे जिसमें उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच सार्वकारक संगठ के	22/6/17 14/7/17 28/7/17 13/8/17 01/9/17
	<p>..... लेकर तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पड़वा सकते है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव व्याप्त है तथा इनके कार्यों से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107 द० प्र० सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक ... 2.5.17 ..... को 10.30 बजे पूर्वाह्न उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके ₹ 5000.00 रु० का दो समप्रतिभुतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाया।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p> <p>अनुमंडल दण्डाधिकारी धनबाद</p>	<p>16/9/17 5/10/17 8/10/17 6/11/17 20/11/17 20/11/17</p>

11-10/17